



Neutral Citation No. - 2026:AHC:68

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 43192 वर्ष 2025

शाहनवाज़

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: फरीद अहमद

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री फरीद अहमद और राज्य-प्रतिवादी के विद्वान एजीए श्री मनोज कुमार सिंह की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत यह जमानत याचिका आरोपी

आवेदक की ओर से दायर की गई है, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 154/2025, भारतीय न्याय

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संहिता, 2023 की धारा 115(2) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5जी/6 के तहत, पुलिस स्टेशन असमोली, जिला संभल में जमानत पर रिहाई की मांग की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी-आवेदक निर्दोष है। उसे इसी मामले में झूठा फंसाया गया है और वह 22.08.2025 से जेल में बंद है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुति दी कि समान परिस्थितियों वाले सह-आरोपी मुस्कुरान को पहले ही इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 17.11.2025 के आदेश द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 36782/2025 में जमानत पर रिहा कर दिया गया है। उन्होंने प्रस्तुति दी कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उन्होंने आगे प्रस्तुति दी कि जमानत पर रिहा होने की स्थिति में उसके न्याय से भागने या सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए, जमानत की निवेदन की गई है।

इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत याचिका का विरोध किया है, लेकिन उपरोक्त तथ्य का खंडन नहीं कर सके।

उपरोक्त सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में सजा की गंभीरता और सहायक साक्ष्य की प्रकृति, गवाह के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका और प्रथम दृष्टया मामले को ध्यान में रखते हुए, लेकिन मामले की योग्यता पर टिप्पणी किए बिना, जमानत का मामला बनता है।

अतः जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उपरोक्त मामले में आरोपी-आवेदक **शाहनवाज़** को, मुकदमा अपराध संख्या के अनुसार, ज़मानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह व्यक्तिगत मुचलका और दो विश्वसनीय ज़मानतदार पेश करे, जिनकी राशि संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप हो। निम्नलिखित शर्तों के अधीन:

1. आवेदक साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं और मुकदमे में सहयोग करेगा।
4. आवेदक मुकदमे की सुनवाई के लिए निर्धारित प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।

उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने की स्थिति में, अवर न्यायालय उसकी जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी।

5 जनवरी, 2026

पीकेएस

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।